बिहार विधान परिषद के 176वें सत्र में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न	
श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह, स0वि0प0 द्वारा 176वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ए0–2 के संबंध में । क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	**श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,** मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना
प्रश्न	**उत्तर**
(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के अथमलगोला प्रखंड अन्तर्गत कमरा पर गॉव में दिनांक –15.07.99 को नाव दुर्घटना में दर्जनों लोगों की मौत हुई थी; उक्त दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को 50–50 हजार रू0 अनुदान और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री ने की थी;	स्वीकारात्मक है ।
(ख) क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, पटना ने अपने पत्रांक –1298 दि0–1.03.2000 द्वारा उप सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से पत्र लिखकर नौकरी के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था;	स्वीकारात्मक है ।
(ग) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय ने सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0–14106/2005 द्वारा विपिन कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ को दिनांक –24.11.2011 द्वारा निदेशित किया था;	वस्तुस्थिति यह है कि CWJC No.14106/2005 में माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में अंचल अधिकारी बाढ़ द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन पर अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ को विधि सम्मत् समुचित कार्रवाई का न्यायादेश पारित किया है।
(घ) क्या यह सही है कि अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, पटना के अपने पत्रांक –241 दि0–5.03.13 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ से मृतकों के आश्रितों की नियुक्ति हेतु जानकारी मांगी थी, तदनुसार अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ ने अंचलाधिकारी से विस्तृत जानकारी ली थी;	स्वीकारात्मक है ।
(ड0) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार बतलायेगी कि माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में विपिन कुमार उम्र–23 व र्ा पिता–रामनंदन सिंह, ग्राम –कल्याणपुर, पो0–अथमलगोला, जिला– पटना की नियुक्ति कबतक करना चाहती है?	प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों के संबंध में निर्धारित मानदर के अनुसार मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान कर दिया गया है। जहाँ तक आश्रितों को नौकरी दिये जाने का प्रश्न है, इस प्रकार का कोई प्रावधान मानदर के अनुसार नहीं है। अतएव, किन्हीं आश्रित को नौकरी देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04/वि0प0ता0प्र0–02/2014/............................./आ0प्र0, पटना–15, दि0–

प्रतिलिपि अवर सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना के ज्ञापांक –283(5) दि0–31.01.2014 जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से उनके पत्रांक –43 दि0–03.02.2014 द्वारा हस्तांतरित होकर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को प्राप्त हुआ है, के क्रम में 04(चार) प्रतियों में/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक –04/वि0प0ता0प्र0–02/2014/829/आ0प्र0, पटना–15, दि0– 4/3/14.

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

4/3/14
विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Hall Wipro Photostat\Vidhai 2-12-13\Q ans 14 22.docx